छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 205/2006</u>

श्री नितिन सिंघवी, एम.आई.जी. 59, सेक्टर–1, शंकरनगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी
2. अपीलीय अधिकारी, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)	....	प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(05 अगस्त 2006)

श्री नितिन सिंघवी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के आदेश दिनांक 9–3–2006 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी नितिन सिंघवी ने जन सूचना अधिकारी, मुख्य अभियंता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग के दिनांक 9–8–2005 को लिखित ब्त्ण्डण्ठण के नोटशीट के पैरा क्रमांक–2 में यह उल्लेख किया गया है कि ण्त्ण्ब की कंडिका 9.1 के अंतर्गत ब्त्ण्डण्ठण का उपयोग वहीं किया जाना है जहां वायुमंडल का तापमान कम से कम 15^0से.ग्रे. से अधिक हो। इस प्रदेश के अधिकांश क्षेंत्रों में शीतकाल में वायुमंडल का तापमान 5^0से.ग्रे. से 10^0से.ग्रे. डिग्री तक हो जाता है अतः ब्त्ण्डण्ठण का उपयोग किया जाना उपयुक्त नहीं है, का आधार मांगा था। आवेदक ने यह चाहा था कि उक्त टीप किस आधार पर लिखी गई अपीलार्थी ने टीप ण्त्ण्ब 53 की कंडिका की प्रति चाही, जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि ब्त्ण्डण्ठण का उपयोग वहीं किया जावे जहां पर कि वातावरण का तापमान 15^0से.ग्रे. से अधिक हो। इसके अतिरिक्त आवेदक ने प्ररूरल रोड मेन्युअल एस.पी.–20 के 46 एवं 47 की प्रतिलिपि भी चाही तथा ण्त्ण्ब 53 की कंडिका 8.1, 8.2 एवं टेबल–6 की सत्यापित प्रतिलिपि में मांगी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 17–2–2006 एवं 20–6–2006 के द्वारा आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराई गई। अपीलार्थी के द्वारा जानकारी असंबद्ध

होने से प्रथम अपील प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग के समक्ष की गई। अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी यह स्पष्ट हुआ कि असंबद्ध जानकारी दी गई है। अपीलीय अधिकारी ने जन सूचना अधिकारी को जानकारी प्रदान किये जाने के निर्देश दिये। अपीलार्थी के द्वारा वांछित अभिलेख डाक से भेजे जाने हेतु अनुरोध किया गया, तद्नुसार अपीलार्थी को डाक से जानकारी भेजी गई। अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय अधिकारी से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, प्रमुख अभियंता कार्यालय के जवाब एवं अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा ण्त्ष्ब 53 की कंडिका– 9. 1 जिसके आधार पर नोटशीट में टीप अंकित किया गया है, उसकी प्रति चाही थी। ण्त्ष्ब 53 की कंडिका–9.1 में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है। सूचना अधिकारी के द्वारा जवाब में बतलाया गया कि अपीलार्थी के द्वारा वांछित ण्त्ष्ब 53 की कंडिका–9.1 ैप्च्.20 के के पृष्ठ 46 एवं 47 की प्रतिलिपि एवं ण्त्ष्ब 53 की कंडिका–8.1 एवं 8.2 एवं टेबल–6 से संबंधित पृष्ठ क्रमांक–12 की छायाप्रति पत्र दिनांक 17–2–2006 के द्वारा प्रदान कर दी गई है तथा पुनः 20–6–2006 के द्वारा जानकारी डाक से भेजी गई है। अपीलार्थी ने उल्लेख किया है कि नोटशीट में इन कंडिकाओं का उल्लेख किस आधार पर किया गया है उसकी वह जानकारी चाहता है।

प्रतिअपीलार्थी ने बताया कि अपीलार्थी के द्वारा वांछित जानकारी की सत्यप्रतिलिपि अपीलार्थी को प्रदान कर दी गई है। अपीलार्थी को प्रदान की ण्त्ष्ब के प्रतिलिपियों के विश्लेषण में मत–भिन्नता हो सकती है। अपीलार्थी द्वारा ण्त्ष्ब की जिन कंडिकाओं की मांग की गई है वह उन्हें प्रदान की गई। कंडिकाओं में उल्लेखित विवरण लिखित आशय के संबंध में मत–भिन्नता है, जिसके निराकरण के लिए आयोग उचित फोरम नहीं है। अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि नोटशीट में कंडिकाओं का हिन्दी अनुवाद गलत ढंग से किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दिये गये अभिलेख को असंबद्ध बताना भी गलत है क्योंकि चाही गई कंडिकाओं की प्रति दी गई है।

प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को वांछित अभिलेखों की प्रतियां दी जा चुकी है। उसका हिन्दी अनुवाद यदि टीप लिखते समय मुख्य अभियंता के द्वारा सही रूप में नहीं लिखा गया है, तब आयोग को इस पर विचार करने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी इस संबंध में निर्णय करने वाले अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी को शिकायत कर सकता है। चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित अभिलेख की प्रतियां प्रदान कर दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त